न्यायालय सब जज, कहलगाँव, भागलपुर

पीठासीन पदाधिकारी :– अमित कुमार शर्मा

दीवानी वाद संख्या 23 / 2091

19.09.2022 **शंभु प्रसाद संथालिया बनाम विजय कुमार संथालिया व अन्य**

आदेश

उभय पक्ष की हाजरी है। प्रस्तुत वाद प्रतिवादी प्रथम पक्ष के बहस हेतु लंबित है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता वाद में आंशिक बहस करते हैं। यह वाद 31 वर्ष पुराना है। वादी संख्या 2, 2 ए, 2 बी व 2 सी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 25.03.2022 व प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 01.04.2022 पर सुना। वादी द्वारा यह संशोधन आवेदन इस 31 वर्ष पुराने वाद में वादपत्र के अनुतोष में संशोधन कर यह अनुतोष जोड़ने की मांग करते हैं कि Relinquishment deed दिनांक 21.07.1956 जाली फरेवी दस्तावेज है और वादीगण के उपर बाध्यकारी नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर में इस संशोधन आवेदन का घोर विरोध करते हुए यह कहा गया है कि यह आवेदन केवल और केवल इस वाद में देरी के उद्येश्य से दाखिल किया है। अगर इस संशोधन को न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो पुनः इस वाद में विलंब होगा। वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्यों इस संशोधन को 31 साल के बाद बहस के दौरान वो जोड़ना चाहते हैं। पूर्व में वादी के कई संशोधन आवेदन स्वीकृत किये गये हैं, परन्तु वादीगण इस वाद को केवल लंबित रखना चाहते हैं। अतः यह संशोधन आवेदन खारिज किया जाए।

उभय पक्ष को सुनने के उपरांत व अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय यह पाती है कि वादी की मंशा इस वाद में विलंब करने की ही रही है व वादी इस मंशा में अब तक सफल भी होते आये हैं। चूँकि यह दीवानी वाद विगत 31 सालों से लंबित है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2022 व 25.03.2022 व अन्य आदेश फलक के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी इस वाद में देरी के उद्येश्य से विभिन्न प्रकार के आवेदनों को दाखिल कर प्रचालित करते हैं। अतः वादी ने अपने आवेदन में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि किन परिस्थितियों में यह संशोधन आवेदन 31 वर्ष बाद दाखिल किया गया है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में वादी का संशोधन आवेदन 500 /रु0 शुल्क के साथ खारिज किया जाता है।

अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय यह पाती है कि इस 31 वर्ष पुराना वाद का त्वरित निष्पादन आवश्यक है। अतः यह न्यायायल सिविल प्रकिया संहिता की धारा 151 का प्रयोग करते हुए इस वाद में आज की तिथि से पूर्व दाखिल सभी आवेदन

जो उभय पक्षों द्वारा आज तक प्रचालित नहीं किये गये हैं, उनको खारिज करती है। उभय पक्षों को यह निर्देश देती है कि इस वाद के त्वरित निष्पादन हेतु तुरंत तैयार रहे। अगर उभय पक्ष द्वारा कोई अन्य भ्रामक आवेदन इस वाद में विलंब करने के उद्येश्य से दिया जाता है तो उस आवेदन पर विधि सम्बद्ध उचित आदेश पारित किया जाएगा।

वाद दिनांक 10.10.2022 वास्ते प्रतिवादी प्रथम पक्ष बहस हेतु।

अवर न्यायाधीश
कहलगॉव